

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना- कोतवाली**

**अवैध तमन्चा कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

आज दिनांक 04.07.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1. विकास यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी जहानाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष, 2. अजीत यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी महुई थाना मधुबन जिला मऊ उम्र 19 वर्ष, 3. धर्मेन्द्र उर्फ गोलू राजभर पुत्र शंकर राजभर निवासी ग्राम फतेहपुर मंडान थाना रामपुर बैलौली जिला मऊ उम्र 20 वर्ष को बड़ी हरैया तमसा नदी पुलिया से समय करीब 8:50 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके 01 पिस्टल 32 बोर, 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 मोबाईल फोन बरामद व 01 मोटर साइकिल (MV ACT में सीज) बरामद हुआ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1.मु0अ0सं0- 393/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम, 2.मु0अ0सं0- 394/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम, 3.मु0अ0सं0- 395/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. विकास यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी जहानाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष।
  2. अजीत यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी महुई थाना मधुबन जिला मऊ उम्र 19 वर्ष।
  3. धर्मेन्द्र उर्फ गोलू राजभर पुत्र शंकर राजभर निवासी ग्राम फतेहपुर मंडान थाना रामपुर बैलौली जिला मऊ उम्र 20 वर्ष।
- बरामदगी- 01 पिस्टल 32 बोर, 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 मोबाईल फोन बरामद व 01 मोटर साइकिल (MV ACT में सीज)

**पंजीकृत अभियोग-**

- 1.मु0अ0सं0- 393/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवालीआजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0- 394/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवालीआजमगढ़।
- 3.मु0अ0सं0- 395/ 24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवालीआजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त**

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, हे0कां0 महेन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव, हे0कां0 पंकज यादव, कां0 प्रदीप यादव, कां0 विवेक शर्मा, कां0 रणवीर यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

**थाना- बरदह**

**सिंचाई मोटर पम्प चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 03.07.24 को वादी मुकदमा विनय राय पुत्र स्व0 चन्द्रमा राय ग्राम अहिरौली थाना बरदह जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादी का मोनोब्लैक, रिफ्लेक्सवाल व सिंचाई के सामान अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 225/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1-अनिल कुमार पुत्र खुनखुन निवासी छतरपुर (दमदपुरवा) थाना बरदह जनपद आजमगढ़, का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 04.07.2024 को उ0नि0 अम्बुज राही मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र खुनखुन निवासी छतरपुर (दमदपुरवा) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को अहिरौली मोड़ से समय करीब 09:00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी गयी मोटर की बरामदगी किया गया तथा अभियुक्तों विपिन सरोज पुत्र लाल बहादुर निवासी छतरपुर थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ व प्रदीप यादव पुत्र रामानुज यादव निवासी ग्राम अहिरौली थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अनिल कुमार पुत्र खुनखुन निवासी छतरपुर (दमदपुरवा) थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 225/2024 धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 मोटर पम्प

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अम्बुज कुमार राही, का0 अनिल कुमार थाना बरदह, आजमगढ़।

### थाना गम्भीरपुर

#### अवैध तमंचा - कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 04-07-2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह को सूचना मिली कि अभियुक्त सभाजीत यादव उर्फ गोरख यादव पुत्र विजय चन्द यादव उर्फ मिठाई यादव निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ दयालपुर मोड के पास (जौनपुर -आजमगढ़ मुख्यमार्ग) मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा अभियुक्त को दयालपुर मोड के पास से समय करीब 10:10 बजे गिरफ्तार कर किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 254/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सभाजीत यादव उर्फ गोरख यादव पुत्र विजय चन्द यादव उर्फ मिठाई यादव निवासी दयालपुर थाना गम्भीरपुर

आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-254/24 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-286/22 धारा- 392/411/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-153/24 धारा-323/34/427/504/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0-254/24 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुपम जायसवाल, का0 गंगासागर कुशवाहा, का0 सोनू यादव थाना गम्भीरपुर जनपद

आजमगढ़।

### थाना – रौनापार

#### छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वादिनी की पुत्री घर में सो रही तो अभियुक्त कृष्णा पुत्र स्व0 हरिलाल सा0 सरदौली गडथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा जब वादिनी जग गई तो अभियुक्त ने चाकू से हमला कर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 273/24 धारा 354/324/452/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम मिश्रा द्वारा प्रचलित है।

➔ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 354/324 भादवि का लोप कर धारा 323/354 ख भादवि व 7/8 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 04.07.2024 को उ0नि0 शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा पुत्र स्व0 हरिलाल सा0 सरदौली गडथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को करखिया मोड़ से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 273/24 धारा 354बी /323/452/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- कृष्णा पुत्र स्व0 हरिलाल सा0 सरदौली गडथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 शिवम मिश्रा, हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

### थाना – रौनापार

#### किशोरी को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.12.2023 को वादी मुकदमा राधेश्याम पुत्र स्व0 प्रभुराम साकिन पूराबाल नरायन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री घर से शौच के लिए कहकर निकली तथा वापस नहीं आयी,

अगल बगल तथा नात रिस्तेदार के यहां काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 393/23 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है।

➔ मुकदमा उपरोक्त पीड़िता की बरामदगी कर पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व प्रमाण पत्रों के अवलोकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366,376 भादवि व 5जे (2)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, एसटी/एससी एक्ट की बढोत्तरी किया गया। तथा अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र सुबाष राजभर साकिन प्यारेपुर पोस्ट अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 04.07.2024 को उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र सुबाष राजभर साकिन प्यारेपुर पोस्ट अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को पाण्डेय का पूरा नहर से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 393/23 धारा 363366,376 भादवि व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, एसटी/एससी एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** शिवा राजभर पुत्र सुबाष राजभर साकिन प्यारेपुर पोस्ट अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी, का0 सत्येन्द्र प्रजापति,स का0 दिलीप कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

### थाना जहानागंज

जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत बैंक मित्र से लूट करने वाले अभियुक्त से पीसीआर के दौरान 4000 रुपये नगद व 02 डिवाईस व 01 अवैध तमंचा व लूट के पैसे से खरीदी 01 मोटरसाइकिल बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 02.06.2024 को वादी मुकदमा प्रशान्त पाण्डेय उर्फ राकू S/O स्व0 दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ग्राम बहवल थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंहपुर में बैंक मित्र है जिसकी चक्रपानपुर बाजार में निधी पुस्तक भण्डार के नाम से दुकान है। वादी अपनी दुकान बन्द करके एकौना - हैदराबाद (सिसवा) रोड से घर जा रहा था कि रास्ते में 03 लड़को ने रोका और असलहा सटाकर मोबाइल, गाड़ी की चाभी व बैग छिन लिये जिसमें करीब 03 लाख रुपये नकद, 02 डिवाईस मशीन, 01 ए.टी.एम. डिवाईस रजिस्टर, ड्रेस और बैंक के कुछ कागजात थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 270/2024 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा की जा रही है। जिसमें गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 395,412,120 बी भादवि की बढोत्तरी व 392 भादवि की घटोत्तरी बनाम अभियुक्तो 1. विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 2. आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियौना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 3. साजन तिवारी पुत्र बेलचन्द तिवारी निवासी चकिया भटौली थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 4. अनीश हाशमी पुत्र अलाउद्दीन हाशमी निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 5. शैलेश यादव पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 6. ज्ञान प्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी पुत्र नन्दलाल यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 7. धनन्जय गिरी पुत्र स्व0 रामकृष्ण गिरी निवासी बछवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिन्हे मुठभेड़/गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था। जिसके क्रम में-

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 04.07.2024 को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध अभियुक्त शैलेश यादव उर्फ बुढे पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अभियुक्त से पूछताछ की गयी तथा अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर ग्राम इनवल से 02 डिवाईस, 4000 रुपये नगद व पैसे से खरीदी मोटरसाइकिल व 01 अवैध तमंचा.12 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 349/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शैलेश यादव उर्फ बुढे पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राहुल द्वारा की जा रही है। तत्पश्चा पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिये गये अभियुक्त शैलेश यादव को जिला कारागार में दाखिल किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 349/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

**PCR पर लिया गया अभियुक्त-** शैलेश यादव उर्फ बुढे पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु.अ.स. 295/24 धारा 307,34,420 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु.अ.स. 322/24 धारा 307,34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु.अ.स. 43/19 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ़
5. मु.अ.स. 131/22 धारा 308,323,504,506,325 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 sc/st act थाना मेहनगर आजमगढ़

6. मु0अ0स0 349/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 2 डिवाईस , 4000/- रुपये नगद व पैसे से खरीदी मोटरसाइकिल व एक अदद नाजायज तमंचा .12 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे, हे.का. सुभाषचन्द, हे0का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

### थाना निजामाबाद

### जान से मारने की नियति से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.06.2024 को वादी मुकदमा देवी प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व0 दशरथ पाण्डेय ग्राम मोहनाठ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की पत्नी लीला देवी खेत में घास काटने के लिए गयी थी। उसी समय अभियुक्त अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र दशरथ पाण्डेय पुरानी रंजिश को लेकर गाली गुप्ता देते हुए फावड़े के वेट व लात घूसों से वादी की पत्नी को मारने लगा जिससे वादी की पत्नी के हाथ व पैर में फैक्चर हो गये तथा जब वादी बचाने के लिए पहुंचा तो वादी को भी मारा पीटा और जाते हुये जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 323, 504, 506, 325 भादवि0 पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्य संलकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 04.07.2024 को व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र दशरथ पाण्डेय निवासी मोहनाथ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को मोहनाठ ईंट भट्टा के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 323,504,506,325,307 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र दशरथ पाण्डेय निवासी मोहनाठ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रंजय कुमार सिंह, हे0का0 सुबाष यादव, का0 राकेश यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़।